प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दीवानी अपीलीय अधिकार

दीवानी अपील सं.(ओं) **8875/2019**
(एसएलपी(दीवानी) सं. 22709 वर्ष 2018 से उद्भूत)

राम मूर्ति यादव ....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा

अपीलार्थी, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद का एक न्यायिक अधिकारी, उ. प्र. मौलिक नियमों (बाद में इसे 'नियम' कहा गया है) के नियम 56 (सी) के तहत 56 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अपने आदेश दिनांकित 03.05.2016 को चुनौती देता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. अपीलार्थी, जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, तो उन्होंने दिनांक 17.09.2007 को आपराधिक प्रकरण सं. 4670/2005 "राज्य बनाम मौ. अयूब" अन्तर्गत धारा 467, 474, 420, 406 और 120–बी भारतीय दंड संहिता में अभियुक्तों को बरी कर दिया। अपीलकर्ता के खिलाफ बरी करने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता से टिप्पणी मांगने के बाद और अपील में उलटे गये निर्णय और आदेश के परिशीलन के बाद, दिनांक 24.02.2009 को प्रशासनिक न्यायाधीश ने एक जांच की सिफारिश की। ओएसडी, जांच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सतर्कता जांच, वी.बी. जांच संख्या 26/2009 की गई थी। दिनांक 10.05.2012 की जांच रिपोर्ट अपीलकर्ता के प्रतिकूल थी। दिनांक 28.06.2012 को उनकी टिप्पणियाँ माँगी गयीं। दिनांक 20.12.2012 को अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि जाँच के आधार पर, उनके चरित्र रोल में एक आक्षेप प्रविष्टि दर्ज की गई थी। सजा के आदेश को अपीलकर्ता ने बिना किसी चुनौती के स्वीकार कर लिया था। दिनांक 01.04.2016 को नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए न्यायिक अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए गठित तीन माननीय न्यायाधीशों की एक समिति ने अपीलकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की, जिसे दिनांक 14.04.2016 को पूर्ण न्यायालय द्वारा समर्थन दिया गया था, जिसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आक्षेपित आदेश से किया गया। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सेवानिवृत्ति के अपने आदेश को दी गयी चुनौती असफल हो गयी और इस प्रकार वर्तमान अपील उत्पन्न हुयी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत ने प्रस्तुत किया कि 1996–97 में दीवानी जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में सेवा में शामिल होने के बाद से 2014–15 तक उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) उनकी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करती है। अपीलार्थी को आवंटित मामलों का कोटा अपर्याप्त होने से, उसके कार्य का प्रतिशत पर्याप्त माना गया। नीचे के प्रदर्शन के लिए 1996–97 में प्रतिकूल टिप्पणी को समाप्त कर दिया गया था। न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हुए एक आपराधिक मामले को तय करने में निर्णय की त्रुटि से ही बेईमानी का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है। वास्तव में आपराधिक मामले में दोषमुक्ति प्रदान करने में अपीलकर्ता की ओर से बेईमानी या सत्यनिष्ठा की कमी का अनुमान लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। केवल इसलिए कि एक अलग दृष्टिकोण संभव था, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की ओर आने को सही नहीं ठहराता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश प्रकृति में कलंक है , विभागीय जांच आयोजित करने में विफलता इसे दूषित करती है। अपीलकर्ता को योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था और 2013 में इसकी पुष्टि की गई थी। उन्होने दक्षता सीमा भी पार कर लिया था। इसलिए सेंसर की सजा तिरस्कृत है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से अप्रासंगिक थी। यह निष्कर्ष कि अवांछित घोषित किए जाने से अपीलकर्ता ने न्यायिक अधिकारी के रूप में अपनी उपयोगिता और दक्षता को खो दिया था, सेवानिवृत्ति से पहले हाल के वर्षों में कम से कम 2012 से 2015 तक उनके एसीआर पर पर्याप्त विचार किए बिना अपोषणीय था। तर्कों के समर्थन में **राम इकबाल शर्मा बनाम बिहार**

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

राज्य और एक अन्य (1990) 3 एससीसी 504; **बैकुंठ नाथ दास और एक अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपाड़ा और एक अन्य** (1992) 2 एससीसी 299; **पी.सी. जोशी बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य** (2001) 6 एससीसी 491 और **रमेश चंदर सिंह बनाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद और एक अन्य** (2007) 4 एससीसी 247 का अवलम्बन लिया।

4. प्रतिवादी के विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्ष 1996–97 के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी कभी भी समाप्त नहीं की गई थी क्योंकि प्रस्तुत स्पष्टीकरण जिला न्यायाधीश द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया था जिसे अपीलकर्ता को दिनांक 12.10.1998 को सूचित किया गया था। बाद के वर्षों में उनका निस्तारण भी अपर्याप्त पाया गया था। आक्षेपित कार्यवाही करने से पहले, दोषमुक्ति प्रदान करने के अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत का परीक्षण कई स्तरों पर किया गया था। अपीलकर्ता ने दोषमुक्ति के ही आदेश के संबंध में सेंसर की सजा पर कभी सवाल नहीं उठाया। अपीलकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड पर स्क्रीनिंग कमेटी ने और फिर पूर्ण न्यायालय ने विचार किया था। यह तथ्य कि अपीलकर्ता को बाद में पदोन्नत किया गया हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार करने के उद्देश्य से अप्रासंगिक है। तर्कों के समर्थन में **बैकुंठ नाथ दास** (उपरोक्त), **भारत संघ और अन्य बनाम के.के. धवन** (1993) 2 एससीसी 56; **भारत संघ और अन्य बनाम दुली चंद** (2006) 5 एससीसी 680; **नवल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** (2003) 8 एससीसी 117; **प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य और अन्य** (2010) 10 एससीसी 693; **आर.सी.**

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

चंदेल बनाम उच्च न्यायालय, म.प्र. और एक अन्य, (2012) 8 एससीसी 58 और **पंजाब राज्य पॉवर कॉपरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम हरि किशन वर्मा,** (2015) 13 एससीसी 156 का अवलम्बन लिया।

5. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुतियाँ पर और साथ ही उनके द्वारा क्रमशः अवलम्ब माँगे गए पूर्व दृष्टांतों पर विचार किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि एक और सतर्कता जांच वीबी सं. 06 वर्ष 2009 भी शुरू की गई थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। बरी करने के खिलाफ शिकायत पर की गयी जांच से पता चलता है कि अपीलकर्ता को हर स्तर पर अपने बचाव का उचित अवसर प्रदान किया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा और फिर पूर्ण न्यायालय द्वारा उनकी सेवा अभिलेख की जांच के अलावा, खण्ड पीठ ने फिर से उनके एसीआर का परिशीलन किया और इस प्रकार मत दिया:

> हमने याचिकाकर्ता की वार्षिक टिप्पणी के निष्कासित हिस्से का परिशीलन किया है और पाया है कि निष्पक्ष अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता की रेटिंग को समाप्त नहीं किया गया है। इसी तरह, वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 में याचिकाकर्ता को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं. 8, प्रतापगढ़ के रूप में तैनात किया गया था और अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में निर्धारित उनके कार्य का निस्तारण अपर्याप्त पाया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दर्ज की गई आक्षेप प्रविष्टि और स्क्रीनिंग कमेटी और पूर्ण न्याायालय द्वारा विचार किया गया, फिर भी इसे निष्कासित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने उक्त आक्षेप प्रविष्टि को कभी चुनौती नहीं दी है, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता के तर्कों में कोई सार नहीं है कि सत्यनिष्ठा से संबंधित एकल आक्षेप प्रविष्टि को स्क्रीनिंग कमेटी और पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता द्वारा अवलम्ब लिए गए विधि के व्याख्यान याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी के विद्वत अधिवक्ता द्वारा अवलम्बित विधि का व्याख्यान इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है।"

6. अपीलकर्ता के सेवा अभिलेख की जांच स्क्रीनिंग कमेटी, पूर्ण न्यायालय, साथ ही उच्च न्यायालय की खण्ड़ पीठ द्वारा भी परीक्षित की गयी है। नियोक्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बेहद संकीर्ण और प्रतिबंधित है। केवल अगर यह मनमाने या स्वेच्छाचारी आधार पर पाया जाता है, दुराशय से दूषित हो, प्रासंगिक सामग्रियों की अनदेखी करता हो, हस्तक्षेप के लिए सीमित गुंजाइश हो सकती है। न्यायालय समान मामले में, न्यायिक समीक्षा में, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निर्णय में नहीं बैठ सकती है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कोई प्रयोज्यता नहीं है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रदर्शन चार्ट से पता चलता है कि वर्ष 2011–12 में "बहुत अच्छे" की एक प्रविष्टि के सिवाय 1996–97 से 2014–15 तक उसका निर्धारण उसे "अच्छा" या "अच्छे अधिकारी" के रूप में मूल्यांकित करता है यह तर्क कि हर अवसर पर उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित थी, हमको अप्रभावित करती है। जहां तक न्यायिक अधिकारी का संबंध है, सत्यनिष्ठा के संबंध में शायद ही कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यह अधिकारी के आचरण के आधार पर अनुमान और धारणाओं का विषय है। न्यायिक अधिकारियों की एसीआर लिखने की वर्तमान प्रणाली की अपर्याप्तता में कई तरीकों से कमियां हैं, **रजिस्ट्रार जनरल, पटना उच्च न्यायालय बनाम पांडे गजेंद्र प्रसाद और अन्य,** (2012) 6 एससीसी 357 में देखा गया था।

8. उनके द्वारा दी गई दोषमुक्ति के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत पर पहले प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था, जो संतुष्ट थे कि यह आगे की जांच के लिए एक मामला है। अपीलार्थी की टिप्पणियाँ मांगी गयी थीं। प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा एक सतर्कता जांच की सिफारिश की गई थी, जो स्पष्टतः दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। सतर्कता जांच करने वाले अधिकारी भी एक न्यायिक अधिकारी थे जिन्होने मत दिया कि अपीलकर्ता द्वारा बरी करने का कार्य ठीक नहीं था। अपीलार्थी की टिप्पणियाँ फिर से माँगी गयीं। तीन माननीय न्यायाधीशों से मिलकर बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने अपीलार्थी के सेवा अभिलेख के समग्र मूल्यांकन पर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की। पूर्ण न्यायालय ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर विचार करते हुए अपीलकर्ता के सेवा अभिलेख की फिर से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जांच–पड़ताल की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति लोक हित में थी। यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता को दी गयी आक्षेप की सजा की उसके द्वारा कभी चुनौती नही दी गयी।

9. श्री बसंत का तर्क कि मात्र निर्णय की त्रुटि के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जा सकती है **के.के. धवन** (उपरोक्त) और **दुली चंद** (उपरोक्त) के दृष्टिगत गुणावगुण में कोई विचारण नहीं हुआ। इसी तरह, जिसे "वॉश–ऑफ सिद्धान्त" के रूप में वर्णित किया गया है कि प्रतिकूल प्रविष्टि के बाद किसी बाद की पदोन्नति का कारण आगे की पदोन्नति के लिए सुसंगत है लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नहीं, **प्यारे मोहन लाल** (उपरोक्त) के मद्देनजर अस्वीकार किया जाना चाहिए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के लिए एकल प्रतिकूल प्रविष्टि पर्याप्त हो सकती है जैसा कि **प्यारे मोहन लाल** में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

> "29. विधि को कर्मचारी की "प्रविष्टि सेवा अभिलेख" का विचारण करने के लिए प्राधिकार अपेक्षित है यह मूल्यांकन करते समय कि क्या उसे इस तथ्य के बावजूद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों को उसे संसूचित नहीं किया गया था और उन प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद उस अधिकारी को पहले प्रोन्नत कर दिया गया था। इसके अलावा, दूरस्थ अतीत में भी एक अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए पर्याप्त है। न्यायिक अधिकारी के मामले समाज के अन्य हिस्सों से उसे अलग मानते

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

हुए जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह एक अलग क्षमता में राज्य की सेवा कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारी के मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा विचारित किया जाता है और फिर समिति की रिपोर्ट को पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। पूर्ण न्यायालय द्वारा मामले पर विचार–विमर्श के बाद एक निर्णय लिया जाता है। इसलिए, दुराशय या मस्तिष्क के गैर–प्रयोग के आरोप लगाने का शायद ही कोई मौका हो।"

10. **सैयद टी.ए. नक्शबंदी और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य** (2003) 9 एससीसी 592 में इस न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित न्यायिक अधिकारी के आचरण के मूल्यांकन की न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार करते हुए निम्नानुसार अवधारित गया:

"7. .... जैसा प्रायः इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया है, न्यायिक समीक्षा केवल यह पता लगाने की सीमा तक स्वीकार्य है कि क्या निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया सही ढंग से देखी गई है, न कि निर्णय स्वयं इस तरह देखा जाता है। अपीलीय अदालत के मामले के विपरीत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालतों द्वारा सामग्रियों का स्वतंत्र विश्लेषण या समालोचना या मूल्यांकन, न तो अनुज्ञेय होगा और न तो एसीआर या समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन और उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा दिए गए अनुमोदन की शुद्धता में जाना संबंधित अधिकारियों

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

या न्याय के प्रशासन की प्रणाली और संस्थानों के हितों के लिए सुविधाजनक होगा जिससे कि इस मामले में हमारा सम्बन्ध है।

11. **उच्च न्यायालय, बॉम्बे बनाम शशिकांत एस. पाटिल और एक अन्य** (2000) 1 एससीसी 416 में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराते हुए **राजेंद्र सिंह वर्मा (डी) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम उप राज्यपाल (दिल्ली एनसीटी)** (2011) 10 एससीसी 1, में इस प्रश्न पर फिर से विचार किया, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"191. ..... उस दशा में जहां उच्च न्यायालय का पूर्ण न्यायालय किसी अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करता है, न्यायिक पक्ष के उच्च न्यायालय को उस आदेश को अपास्त करने में बड़ी सावधानी और चौकसी का प्रयोग करना होगा क्योंकि यह उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के पूरक हैं जो प्रश्नगत होते हैं और यह संभव है कि सभी मामलों में किसी न्यायिक अधिकारी की संदिग्ध सत्यनिष्ठा के बारे में साक्ष्य सामने न आए..."

आगे यह अवधारित किया गया कि:

"192. ... यदि वह प्राधिकारी सद्भावनापूर्वक राय व्यक्त करता है कि किसी विशिष्ट अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है तो उस राय की शुद्धता को न्यायालयों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है जब उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर इस तरह के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संवैधानिक कार्य का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी न्यायिक समीक्षा को केवल बहुत सावधानी और चौकसी के साथ किया जाना चाहिए और इसे कई रिपोर्ट किए गए निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। जब उपयुक्त प्राधिकारी सद्भावनापूर्वक राय बनाते हैं कि न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति लोक हित में है, तो रिट न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत या यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

12. **पी.सी. जोशी** (उपरोक्त) कदाचार के आरोपों के समर्थन में किसी भी कानूनी रूप से स्वीकार्य या प्रासंगिक सबूत के लिए आयोजित विभागीय कार्यवाही में सजा के आदेश से संबंधित मामला था। **रमेश चंदर सिंह** (उपरोक्त) विशेष रूप से विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग से संबंधित जमानत के आदेश से संबंधित है जब एक सह अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश एक सजा नहीं है , वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कलंक तो बिल्कुल नहीं है। **राम इकबाल शर्मा** (उपरोक्त) इस मुद्दे से निपट रहे थे कि आदेश का रूप निर्णायक नहीं था और यह निर्धारित करने के लिए पर्दा उठाया जा सकता है यदि इसे जबावी हलफनामे में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में लिए गए रूख के मद्देनजर तो और भी सजा के रूप में आदेशित किया गया था, फिर से वर्तमान विवाद के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

13. न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के पास पदोन्नति सहित कैरियर की आकांक्षाएं हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निस्संदेह कैरियर की आकांक्षाओं को प्रभावित करता है। ऐसा कहने के बाद, हमें यह भी सावधानी बरतनी चाहिए कि न्यायिक सेवा किसी अन्य सेवा की तरह नहीं है। न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति अपने संप्रभु कार्यों के निर्वहन में राज्य की ओर से कार्य करता है। न्याय देना न केवल एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य के निर्वहन के सदृश माना जाता है, और इसलिए, एक बहुत ही गंभीर मामला है। एक अन्य नौकरी में एक कैरियरवादी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक होने वाली ईमानदारी, आचरण, सत्यनिष्ठा के मानक न्यायिक अधिकारी के लिए समान नहीं हो सकते हैं। एक न्यायाधीश सार्वजनिक न्यास का पद धारण करता है। मूल में सन्निहित मौलिक निष्ठा, नैतिक मूल्यों के साथ अमिट स्वतंत्रता पूर्ण अनिवार्यताएं हैं जो कोई समझौता नहीं करती हैं। एक न्यायाधीश संपूर्ण न्याय प्रणाली का स्तंभ है और जनता को न्यायिक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति से वस्तुतः निष्कलंक आचरण की मांग करने का अधिकार है। न्यायाधीशों को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में ईमानदारी के उच्चतम मानकों के लिए प्रयास करना चाहिए।

14. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति के पास अधीनस्थ न्यायपालिका के स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली का पहला प्रदर्शन है और इस प्रकार अन्याय की भावना न केवल उस व्यक्ति पर गंभीर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परिणाम हो सकती है, बल्कि समाज में भी इसका निहितार्थ हो सकता है। इसलिए यह पूरी तरह से आवश्यक है कि साधारण मुकदमेबाज को इस स्तर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और कोई भी धारणा एक मुकदमेबाज को नहीं दी जा सकती है जो इसके विपरीत एक धारणा पैदा कर सकता है क्योंकि परिणाम बहुत हानिकारक हो सकते हैं। न्यायिक अधिकारी के आचरण को पहचानने के लिए मानक या पैमाना इसलिए सख्त होना जरूरी है। ऐसा कहने के बाद, हमें यह भी देखना चाहिए कि यह हर अनजाने दोष या त्रुटि के लिए नहीं है जो एक न्यायिक अधिकारी को दोषी बनाएगा। राज्य न्यायिक अकादमी निस्संदेह इस संबंध में प्रदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। एक सद्भावनापूर्वक त्रुटि में सुधार और परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन एक आचरण जो सामान्य से परे एक धारणा बनाता है, उसका प्रतिपालन नहीं किया जा सकता है। एक प्रशिक्षित कानूनी मस्तिष्क के लिए, एक न्यायिक आदेश स्वयं ही बोलता है।

15. अंत में, हम इस सुविचारित मत पर हैं कि अपीलकर्ता का अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश किसी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

... ...

(न्यायमूर्ति अशोक भूषण)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

... ...

(न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा)

नई दिल्ली

10 दिसम्बर 2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।